न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 149/2017 अपील (RCMS/2017/00115)
पंजीयन दिनांक — 04.12.2017
निर्णय दिनांक — 23.04.2019

1. श्री भवानी सिंह पिता श्री किशोर सिंह राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा।
2. श्री फतहसिंह पिता श्री किशोरसिंह राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी बड़लावाली, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय—
   - 2/1 श्री राजेन्द्रसिंह पिता श्री फतहसिंह राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी बड़लावाली, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
   - 2/2 श्री देवेन्द्रसिंह पिता श्री फतहसिंह राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी बड़लावाली, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
   - 2/3 मु. पारस कंवर पिता श्री फतहसिंह राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी बड़लावाली, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
   - 2/4 मु. विष्णु कंवर पिता श्री फतहसिंह राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी बड़लावाली, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
   - 2/5 श्रीमती दीपकंवर पत्नि श्री फतहसिंह राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी बड़लावाली, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. श्री गोविन्दसिंह पिता श्री किशोरसिंह राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, बड़लावाली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्टस्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—
1. श्री कमलेश चौहान व नारायण छापरवाल — वकील अपीलान्ट संख्या
2. श्री मदनलाल टांक — वकील रेस्पोडेंट संख्या—2/1 से 2/5
3. श्री योगेन्द्र दशोरा — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1

प्रकरण संख्या—12/2015, श्री भवानीसिंह राजपूत बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा व अन्य में न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—76 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 23.04.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या–12/2015, श्री भवानीसिंह राजपूत बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

- राजस्व ग्राम कल्लाखेडी विरान तहसील नाथद्वारा के पटवार सर्कल गुंजोल में आराजी नम्बर 13, 14, 123 कुल किता 3 कुल रकबा 09 बीघा 09 बिश्वा भूमि स्थित है जो अपीलान्ट एव रेस्पाडेंट संख्या–2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा नामान्तरकरण संख्या–326 दिनांक 04.12.2014 को स्वीकृत किया गया।

- उक्त नामान्तरकरण संख्या–326 से व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि पर वह लोग पिछले 50 वर्षों से आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर रखा है और उसकी अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। इस भूमि के सम्बन्ध में एक विभाजन का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, नाथद्वारा में प्रकरण संख्या–219/2014 से दर्ज होकर विचाराधीन है जिसमें 25.03.2015 पेशी नियत थी। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या–2 व 3 ने पटवारी से मिलीभगत कर बिना विभाजन कराये, अपीलान्ट की सहमति प्राप्त किये बिना नामान्तकरण संख्या–326 दिनांक 04.12.2014 को स्वीकृत कर दिया। नामान्तकरण से पूर्व पटवारी द्वारा न ही मौके पर जाकर बंटवारा किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तकरण निरस्त किया जावें।

- उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जिसके प्रकरण संख्या–12/2015 है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा दिनांक 18.01.2016 को दोनों पक्षों को सुनकर अंतरिम आदेश पारित कर यथास्थिति का आदेश पारित किया। उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 18.01.2016 की अपील रेस्पोडेंट संख्या–2 द्वारा इस न्यायालय में पेश की गई जो दर्ज रजिस्टर हुए जिसके प्रकरण संख्या–24/2016 है। न्यायालय हाजा द्वारा जिला कलक्टर, राजसमन्द के अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील इस स्तर पर सुना जाना नियमों के प्रतिकुल होने से खारिज कर निर्णय दिनांक 20.12.2016 पारित किया गया।

- तत्पश्चात् प्रकरण संख्या–12/2015 में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा उभयपक्षों को सुनकर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 12.10.2017 को पारित किया कि–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

''अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के द्वारा आपसी सहमति विभाजन के लिए प्रस्तुत प्रा0पत्र, नक्शा ट्रेस, आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पत्र 50/– के स्टाम्प पर एवं फर्द आदेशिका दिनांक 04.12.2014 को जिसके द्वारा आपसी सहमति विभाजन पत्र को स्वीकृत किया गया पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के स्वयं के हस्ताक्षर किए हुए है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 द्वारा अपनी पहचान स्वरूप निर्वाचन पहचान पत्र की फोटो प्रति पर अपने हस्ताक्षरयुक्त पेशी की गयी जो भी पत्रावली पर मौजूद है। इस स्थिति से प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि का अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया है। अपीलान्ट के द्वारा किये गये कथन कि उसने आपसी सहमति के बंटवारे पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये और न ही सहमति का कोई बंटवाड़ा करवाया गया इस कथन की पुष्टि नहीं होती है और न ही अपीलान्ट की ओर से इस आशय का कोई ठोस प्रमाण पेश किया गया। अपीलान्ट को यह भी स्पष्टतः निर्देशित किया गया कि यदि अपीलान्ट के हस्ताक्षर फर्जी है तो वह सम्बन्धित के विरूद्ध एफ0आई0आर0 आदि की कार्यवाही करवाने को स्वतंत्र है किन्तु अपीलान्ट के द्वारा इस आशय की कार्यवाही करवाई गई हो तो यह भी स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की आपसी सहमति के आधार पर पारित आक्षेपित नामान्तरकरण में कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होकर खारिज किये जाने योग्य है।''

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट रेस्पोडेंट संख्या–2/1 से 2/5 जिनकी बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों की ध्यान आकृष्ट कर निर्णय से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लिखित बहस दिनांक 22.04.2019 को प्राप्त।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं लिखित बहस में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कल्लाखेडी की उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि पर वह लोग पिछले 50 वर्षों से आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर रखा है और उसकी अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। इस भूमि के सम्बन्ध में एक विभाजन का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, नाथद्वारा में प्रकरण संख्या–219/2014 से दर्ज होकर विचाराधीन है जिसमें 25.03.2015 पेशी नियत थी। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या–2 व 3 ने पटवारी से मिलीभगत कर बिना विभाजन कराये, अपीलान्ट की सहमति प्राप्त किये बिना नामान्तकरण संख्या–326 दिनांक 04.12.14 को स्वीकृत कर दिया। नामान्तकरण से पूर्व पटवारी द्वारा न ही मौके पर जाकर बंटवारा किया गया। उक्त सारी कार्यवाही फर्जीरूपेण की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का सही रूप से अवलोकन किये बगैर ही आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल अपील को इस आधार पर अस्वीकार किया है कि आपसी सहमति बंटवारें में अपीलार्थी द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं किये न ही सहमति से बंटवारा करवाया। इस बात की पुष्टि इस आधार पर नहीं माना क्योंकि अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवायी जबकि उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेद्याज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा उक्त प्रकरण में विभाजन को त्रुटिपूर्ण मानते हुए तथा नामान्तरकरण को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

त्रुटिपूर्ण मानते हुए पटवारी हल्का गुंजोल के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश हुए है, ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद वर्ष 2014 में रेस्पोडेंट संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसी वाद के दरम्यान आपसी सहमति विभाजन होना बता कर रेस्पोडेंट संख्या–2 ने उक्त विभाजन के वाद को नोट प्रेस कर लिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को होने पर अपीलान्ट द्वारा विभाजन का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, नाथद्वारा जिला राजसमन्द में प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या–195/2016 वाद होकर उक्त वाद वर्तमान में विचाराधीन है, उक्त सारी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय समक्ष होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज करने में भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.10.2017 एवं नामान्तरकरण संख्या–326 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–2/1 से 2/5 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कथनों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि का मौका स्थिति पर कब्जे अनुसार ही आपसी सहमति से विभाजन किया गया। विभाजन सम्बन्धी पत्रादि पर स्वयं अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। उक्त विभाजन सम्बन्धी पत्रादि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त सभी दस्तावेज सही एवं सत्य है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी को दस्तावेजों एवं विभाजन पत्र फर्जी होने की स्थिति में एफआईआर सम्बन्धी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रखा। परन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त सत्य दस्तावेजों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में अन्य पक्षकारों को परेशान करनें की नियत से अपीलीय कार्यवाही की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण में सभी दस्तावेजों एवं तथ्यों के पूर्ण परिक्षण उपरान्त निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 राजकीय अभिभाषक ने बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकनानुसार आपसी सहमति विभाजन की कार्यवाही के पत्रादि पर स्वंय अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। विवादित नामान्तकरण आपसी सहमति के विभाजन के आधार पर पारित किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा विधिवत निर्णय परित किया गया है जिससे से अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त भूमि के विभाजन से सम्बन्धित दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त दस्तावेजों पर अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किए है। उक्त सहमति बट़वारा के आधार पर तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा नामान्तरकरण संख्या–326 दिनांक 04.12.2014 को स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयानुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 द्वारा पहचान

Web Copy - Not Official

स्वरूप निर्वाचन पहचान पत्र की फोटो प्रति पर अपने हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत की। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के द्वारा आपसी सहमति से ही विभाजन करवाया गया है। अपीलार्थी अनुसार उक्त विभाजन सम्बन्धी दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर होने का कथन किया है परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही जैसे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट इत्यादि नहीं की गई है, और न ही अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार, नाथद्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आलौच्य नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। इन्ही तथ्यों एवं उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण विवेचना, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द का निर्णय दिनांक 12.10.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official